राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

''इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राइम केसेज''

कोर्स रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार ''इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राइम केसेज'' विषय पर 10 दिवसीय कोर्स दिनांक 15.07.2018 से 25.07.2018 तक आयोजित किया गया है।

इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 26 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई जिसमें 01 उप अधीक्षक पुलिस, 03 पुलिस निरीक्षक तथा 22 पुलिस उप निरीक्षक रैंक के अधिकारी शामिल हुए। कोर्स डायरेक्टर श्रीमती सुमन चौधरी, अति0 पुलिस अधीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने कोर्स की प्रस्तावना के साथ कोर्स की शुरूआत कर ''इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राइम केसेज'' के विभिन्न आयामों के बारे में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि प्रात: 10.00 से सांय 05.00 तक रही, इसमे साईबर अपराधों के विषय पर प्रथम दिवस को प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री अनिल पाराशर जोइन्ट डायरेक्टर **NIC,** जयपुर ने सामान्य कम्प्यूटर शब्दावली, विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, विभिन्न नेटवर्क घटक एवं इंटरनेट आदि विषयों की जानकारी प्रदान की। प्रथम दिवस के तृतीय सत्र में श्री राजेन्द्र शर्मा अति0 पुलिस अधीक्षक (से.नि.) ने प्रथम उत्तरदाता की भूमिका (प्राथमिक राहत, संरक्षण और साक्ष्य संग्रह) के बारे में विस्तृत रूप से बताया।

द्वितीय दिवस को प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री गजेन्द्र शर्मा उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना साईबर क्राईम, राजस्थान, जयपुर ने ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, कम्प्यूटर/नेटवर्क, बैंक धोखाधड़ी आदि, वेब संबंधित अपराध, आतंकवाद से संबंधित अपराध की जानकारी प्रदान की। तृतीय सत्र में श्री विश्वास भारद्वाज, सहायक निदेशक, (साईबर फोरेन्सिक) एफ एस एल, जयपुर ने डिजिटल साक्ष्य की तलाशी और जब्ती के बारे में विस्तृत व्याख्यान दिया, जिसमें विभिन्न सॉफ्टवेयर उपकरण, ऑडियो/ वीडियो प्रमाणीकरण तकनीकों का उपयोग, हैश वैल्यू की अवधारणा के बारे में बताया।

तृतीय दिवस को प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री निशीथ दीक्षित, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने आईटी एक्ट 2000 और संशोधन -2008, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राहता, धारा 65 बी का महत्व, संबंधित सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम की धाराऐं, साइबर अपराधों से संबंधित न्यायालय के निर्णयों आदि को विस्तार से समझाया। तृतीय सत्र में श्री गजेन्द्र शर्मा उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना साईबर क्राईम, राजस्थान, जयपुर "प्रथम उत्तरदाता की भूमिका" और METADATA का महत्व को समझाया।

चतुर्थ दिवस को संपूर्ण सत्र में श्री मिलिन्द अग्रवाल, साईबर एक्सपर्ट, जयपुर ने प्रॉक्सी सर्वर और वीपीएन, आईपी पते को छुपाना, ई-मेल और संबंधित अपराधों के बारे में विस्तार से समझाया।

पंचम दिवस को प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री गजेन्द्र शर्मा उप निरीक्षक पुलिस, साईबर थाना, राजस्थान, जयपुर ने साईबर पुलिस थाना, राजस्थान जयपुर का विजिट के दौरान कुछ केस स्टडीज को समझाया। तृतीय सत्र में श्री आशीष कुमार, साईबर एक्सपर्ट जयपुर ने साईबर सिक्योरिटी के बारे में विस्तार से बताया।

षष्टम दिवस को संपूर्ण सत्र में श्री उम्मेद मील, साईबर एक्सपर्ट ने सीडीआर, आईपीडीआर और टॉवर डंप का विश्लेषण, मोबाइल फोन अवरोधन, एमएस एक्सेल-सॉर्टिंग, पिवट टेबल का उपयोग आदि विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की।

सप्तम व अष्टम दिवस को संपूर्ण सत्र में श्री नितिन चौहान, 3 आई फोरेंसिक टूल्स, नई दिल्ली की टीम ने उपकरणों के साथ डिजिटल साक्ष्य जब्ती किट का महत्व और "हैश वेल्यू" के विश्लेषण को समझाया।

नौवें दिवस को संपूर्ण सत्र में श्री शेखर सिंह अनुसंधान मैनेजर, जयपुर ने बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी का अनुसंधान, ऑनलाइन शॉपिंग/लेनदेन, बैंकिंग कार्ड (एटीएम), से धोखाधडी का अनुसंधान, साक्ष्य संग्रहण को केस स्टडी के माध्यम से समझाया।

अन्तिम दिवस में कोर्स डायरेक्टर श्रीमती सुमन चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आरपीए ने भारत सरकार की CCPWC स्कीम के बारे में जानकरी दी। तत्पश्चात श्री राजेश दुरेजा, पुलिस निरीक्षक, एस ओ जी एवं ए टी एस, जयपुर ने मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी और सेलुलर नेटवर्क की मूल बातें, मोबाइल फोन मे मोबाइल फाइल सिस्टम, डाटा स्टोरेज और हार्डवेयर का उपयोग, मोबाइल फोन से साक्ष्य संग्रह, मोबाइल में स्टोरेज डिवाइस जैसे सिम, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, रैम, क्लाउड, भारत सरकार की सर्ट-इन स्कीम आदि के बारे में जानकारी दी।

सम्पूर्ण कोर्स में प्रतिभागियों को Hands on excerise करवाई गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस में दिनांक 25.07.2019 को 02:15 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल समस्त प्रतिभागियों से समग्र कोर्स का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया गया। कोर्स का समापन-समारोह अकादमी स्थित कॉन्फ्रेन्स हॉल नं.03 में किया गया जिसके मुख्य अतिथि श्री शरत कविराज, उप महानिरीक्षक पुलिस एस सी आर बी, राजस्थान, जयपुर ने अपने उद्बोधन के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में कोर्स निदेशक श्रीमती सुमन चौधरी के द्वारा कोर्स के संचालन में सहभागियों एवं सम्पूर्ण प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

भवदीया,

(सुमन चौधरी)
अति.पुलिस अधीक्षक
कोर्स डायरेक्टर
आर.पी.ए. जयपुर